



न्यायालय तहसीलदार अजमेर

प्रकरण संख्या 4 / 2020

अंतर्गत धारा 91 राज० भूराजस्व
अधिनियम 1956

सरकार जरिये पटवारी हल्का भूडोल बनाम

श्री प्रेम सिंह पुत्र लाल सिंह,
जाती रावत निवासी भूडोल

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भूडोल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम भूडोल के खसरा नं 3561 रकबा 7.05 हेक्टर चरागाह भूमि है जिसमें से 0.09 हेक्टर पर तार बंदी कर कब्जा कर लिया गया है।

वर्तमान में ग्राम भूडोल की आराजी खसरा नम्बर 3561 रकबा 7.05 हेक्ट. मुताबिक रेकार्ड चरागाह भूमि दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी के अनुसार अतिक्रमी के विरुद्ध अंतर्गत धारा 91 राज० भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को नोटिस जारी किया गया। गेरसायल व गेरसायल अभिभाषक द्वारा उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा गया उन्हें समय दिया गया अभिभाषक द्वारा जवाब पेश किया गया जो की अशतोषजनक पाया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया मुताबिक रिकार्ड व जमाबंदी सम्वत् २०७६ के अनुसार रिपोर्ट पटवारी हल्का भूडोल अनुसार ग्राम भूडोल के खसरा नम्बर खसरा न. 3561 रकबा 7.05 हेक्ट. चरागाह भूमि है जिसमें से 0.09 हेक्ट. पर अतिक्रमी श्री प्रेम सिंह पुत्र लाल सिंह रावत निवासी ग्राम भूडोल द्वारा खसरा नं 3561 के 0.09 हेक्ट. में तार बंदी कर अनाधिकृत कब्जा किया जाना साबित होता है।

अतः उक्त अतिक्रमित भूमि ग्राम भूडोल के खसरा नं 3561 से अतिक्रमी को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया जाता है, साथ ही अतिक्रमित भूमि की लगान... 2/- रु का पचास गुना100/-.....रु की शास्ती आरोपित से दण्डित किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व भु० अभि० निरीक्षक / पटवारी हल्का को शास्ती राशी की वसूली व अतिक्रमी को मौके से बेदखली हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस पत्रावली की मांग की राशि 100/-
रा.ले.सं.-4 वर्ष 20.19.20.20 के पृष्ठ सं. 28
पर इन्द्राज की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार
अजमेर

तहसीलदार, अजमेर